(नियम–26)
अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) ...

सुमित्रा वगैराह बनाम झमकू वगैराह
दावा क्रमांक 185/2017
जीसीएमएस क्रमांक 2017/00227

संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा खबड़ियाना के खसरा नम्बर 382 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नमबर 314/1 रकबा 18 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 7 बीघा 06 बीस्वा कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा की भूमि का माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है तथा हिस्सा विषेष की भूमि का बंट चाहा है। अतः वाद पत्र में वर्णित मौजा खाबड़ियाना में खसरा नम्बर 382 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नमबर 314/1 रकबा 18 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 7 बीघा 06 बीस्वा कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा की भूमि का विभाजन चाहा गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : आदेश :–

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सुमित्रा, विशाल, मनीषा के सामलाती हक बंट कब्जा कश्त में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नम्बर 314/1 रकबा 18 बिघा में से दक्षिणी तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार 9 बिघा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी झमकु एवं सुखाराम के सह हक बंट कब्जा काश्त में में मौजा खाबडियाना के खसरा नम्बर 384 रकबा 7 बिघा 06 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी किसनाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना का खसरा नम्बर 314/1 रकबा 18 बिघा में से उतरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार 9 बिघा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी विशाल के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नम्बर 382 रकबा 1 बिघा 06 बिस्वा पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः मुन्नी व मंजू द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)
7. वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि ओदश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेंह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner